HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 402/2014

Nanchi Devi W/o Late Shri Baksa Ram, Aged about 58 years, resident of Gothda and at present residing at Kharkhda, Tehsil Khetri, District Jhunjhunu, Rajasthan.

----Appellant

Versus

1. Gadaram S/o Late Shri Baksa Ram aged about 35 years,
2. Tejaram S/o Late Shri Baksa Ram aged about 26 years,

All resident of Gothda and at present residing at Kharkhda, Tehsil Khetri, District Jhunjhunu, Rajasthan.

3. Rookmani D/o Late Shri Baksa Ram aged about 30 years,
4. Murti Devi D/o Late Shri Baksa Ram aged about 35 years,

All resident of Ladi Ka Bas, Tan Sighana, Tehsil Buhana, District Jhunjhunu, Rajasthan.

5. Hindustan Copper Limited, Khetri Nagar through its Manager
6. Har Khas & Aam.

----Respondents

For Appellant(s)	:	Mr. Manish Sharma, Adv. for Mr. Tanveer Ahmed, Adv.
For Respondent(s)	:	None present

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

27/02/2026

अपीलार्थी–प्रार्थी की ओर से यह अपील विद्वान अपर जिला न्यायाधीश खेतडी द्वारा विविध व्यवहार प्रकरण (धारा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम) संख्या–67/2012 में पारित निर्णय दिनांक 22.10.2013 से व्यथित होकर प्रस्तुत की जिसके माध्यम से अपीलार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (आगे ''अधिनियम–1925'' कहा जावेगा) खारिज किया गया।

अपीलार्थी–प्रार्थी का निवेदन है कि मृतक बक्साराम का विवाह अपीलार्थी की बडी बहिन फूलीदेवी के साथ काफी समय पूर्व हुआ था, इस वैवाहिक

संबंध से कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई और फूलीदेवी की सहमति से अपीलार्थी ने बक्साराम के साथ फूलीदेवी के जीवनकाल में ही विवाह कर लिया था। इस प्रकार वह उसकी विवाहिता पत्नी है, बक्साराम की मृत्यु हो चुकी है, वह हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड, खेतडीनगर में कर्मचारी के रूप में कार्यरत था। पारिवारिक पेंशन व अन्य परिलाभ अपीलार्थी प्राप्त करने की अधिकारी है।

प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया, उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया।

विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी का कथित विवाह मृतक के साथ शून्य होना बताते हुए याचिका खारिज की गयी जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश की गयी है। अपीलार्थी के अभिकथनों से ही स्पष्ट है कि कथित रूप से जिस समय अपीलार्थी द्वारा बक्साराम के साथ विवाह किया गया था, तत्समय अपीलार्थी की बहिन बक्साराम की पत्नी के रूप में मौजूद थी, अतः बक्साराम की पत्नी होते हुए अपीलार्थी द्वारा कथित रूप से विवाह किया जाना विधिसम्मत नहीं था। यदि ऐसा विवाह होना भी माना जावे तो वह शुरू से शून्य है, यही अभिमत प्रकट करते हुए अपीलार्थी की याचिका विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा खारिज की गयी है। इस प्रकार विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिया गया निष्कर्ष पूर्णतः विधि के अनुरूप है, जिसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

परिणामतः यह अपील खारिज की जाती है तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.10.2013 की पुष्टि की जाती है।

(UMA SHANKER VYAS),J

Mittal /88